संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक एफ : 01–21/2019/विज्ञप्त/2126 रायपुर, दिनांकः 24/08/2020

"संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना"

––000––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1–62/2015/सत्रह/एक नया रायपुर, दिनांक 09.08.2018. द्वारा चिकित्सा अधिकारियों (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) के 208 पदों पर सीधी भर्ती से भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके तारतम्य में इस संचालनालय के पत्र क्रमांक एफ : 01–21/2019/विज्ञप्त/794, रायपुर, दिनांक 08.05.2020 द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 208 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 31.05.2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। तत्संबंध में दावा–आपत्ति निराकरण की सूची एवं वर्गवार (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग) पृथक–पृथक मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर प्रकाशित की गई है। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 07.09.2020 (सोमवार), 08.09.2020 (मंगलवार) एवं 09.09.2020 (बुधवार) को आयोजित की जानी है जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	दिनांक एवं दिवस	समय	वर्ग	वर्ग में मेरिट क्रमांक
1	2	3	4	5
1	07.09.2020 (सोमवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनारक्षित	01 से 20
2		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनारक्षित	21 से 40
3		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनारक्षित	41 से 50
4		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
5		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनारक्षित	51 से 70
6		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनारक्षित	71 से 90
7		अपरान्ह 04:30 से 05:00	अनारक्षित	90 से 100
8	08.09.2020 (मंगलवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनारक्षित	101 से 120
9		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अन्य पिछड़ा वर्ग	33 से 53
10		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अन्य पिछड़ा वर्ग	53 से 70
11		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
12		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनुसूचित जाति	06 से 26
13		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जाति	27 से 45
15	09.09.2020 (बुधवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनुसूचित जनजाति	14 से 34
16		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनुसूचित जनजाति	35 से 55
17		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनुसूचित जनजाति	56 से 76
18		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
19		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनुसूचित जनजाति	77 से 97
20		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जनजाति	98 से 113
21		अपरान्ह 04:30 से 05:00	दिव्यांग	01 से 6

नोटः– **अभ्यार्थी उपरोक्त सारणी के कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वर्ग के मेरिट सूची का अवलोकन कर कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित क्रमांक अनुसार उपस्थिति देवें।**

ab\

1. कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय–सीमा निर्धारित की गई है। **अतः समस्त अभ्यार्थी निर्धारित समय–सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।**

2. अभ्यार्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10 वी, 12वी, समस्त वर्ष के एम.बी.बी.एस., पी.जी. का अंकसूची, छ.ग. मेडिकल कौसिल/अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र) की **मूल प्रति एवं दो स्व प्रमाणित छायाप्रति** लाना अनिवार्य है।

3. अभ्यार्थी उपरोक्त दस्तावेज निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेः–

   1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 2. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र, 3. एम.बी.बी.एस. (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) 4. पी.जी. का अंकसूची, 5. छ.ग. मेडिकल कौसिल/अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, 6. मूल निवास प्रमाण पत्र, 7. जाति प्रमाण पत्र, 8. अनापत्ति प्रमाण पत्र, 9. अनुभव प्रमाण पत्र, 10. दिव्यांग प्रमाण पत्र, 11. अन्य दस्तावेज

4. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावें।

5. **कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है।** अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये लिखित रूप अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यार्थी द्वारा जारी लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

6. अभ्यार्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस संचालनालय द्वारा देय नहीं होगा।

7. **यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तोवज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।**

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़